कोटा विकास प्राधिकरण

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2024/1969-81 दिनांक :- 27/09/2024

निमित्त :-

मै0 के.जी.वी. इन्फ्रा प्रा0लि0
जर्ये श्री गौरव वैष्णव
पता - C-304/2, तलवण्डी, कोटा (राज0)।

विषय :- भूखण्ड सं0 CP-06, स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा क्षेत्रफल 2340 वर्गमीटर के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विकासकर्ता द्वारा 40 मीटर तक के भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्रों के परीक्षण उपरांत प्रस्तुत प्रस्ताव पर भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 28-08-2024 में लिये गए निर्णय के क्रम में निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाते हैं :-

1. यह स्वीकृति राजस्थान भवन विनियम 2020 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अध्याधीन रहेगी तथा इसके प्रावधानों से सुसंगत होने की सीमा तक ही मान्य रहेगी।
2. राजस्थान भवन विनियम 2020 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की रहेगी। स्वीकृति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, भूल एवं लोप को विनियम के प्रावधानों में छूट के रूप में नहीं लिया जा सकेगा। विनियम एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अनुसार निर्माण कराने का दायित्व अनुज्ञाधारी का रहेगा। स्वीकृति में विनियम एवम् अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अनुसार कोई त्रुटि, भूल एवं लोप है, तो भवन निर्माण अनुज्ञाधारी का दायित्व रहेगा कि उस बारे में कोटा विकास प्राधिकरण कार्यालय का ध्यान आकर्षित करे। त्रुटि, भूल एवं लोप के आधार पर निर्माण मान्य नहीं होगा।
3. प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार $B_1+B_2+S+G+12$ मंजिल (प्लिंथ 1.2 मीटर +स्टिल्ट 6.5 मीटर +38 मीटर ऊंचाई में) की स्वीकृति चाही गई है। आपके प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत प्रस्तुत प्रस्तावानुसार $B_1+B_2+S+G+10$ वें तल तक (40 मीटर ऊंचाई तक) की स्वीकृति भवन विनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों से सुसंगत होने की सीमा तक ही जारी की जा रही है। यह स्वीकृति भवन विनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों से सुसंगत होने की सीमा तक ही मान्य रहेगी।
4. उक्त भूखण्ड पर प्रस्तावित भवन पर अग्निशमन के प्रावधान भवन विनियम के प्रावधान अनुसार रखे जाने होंगे साथ ही संबंधित विभाग से अग्निशमन हेतु अनापत्ति ली जानी होगी।
5. भूखण्ड पर वाणिज्यिक निर्माण प्रस्तावित होने के कारण पुलिस अधीक्षक की अनापत्ति प्राप्त की जानी होगी एवं पुलिस अधीक्षक की अनापत्ति के पूर्व भवन का वाणिज्यिक उपयोग नहीं लिया जावेगा एवम् पुलिस अधीक्षक की अनापत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
6. भवन विनियम के बिन्दु सं0 10.11.4 में दिए गए सालिड वेस्ट डिस्पोजल के प्रावधानों की पालना की जानी होगी।
7. राजस्थान भवन विनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के विरूद्ध निर्माण किये जाने पर कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी तथा उक्त कार्यवाही पर किया गया समस्त व्यय आपको ही वहन करना होगा।
8. पार्किंग सम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था मानचित्र में खुले स्थल पर दर्शाये अनुसार की जानी होगी तथा आप द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र अनुसार पार्किंग क्षैत्र को अन्य उपयोग में नहीं लिया जावेगा।
9. पार्किंग इत्यादी सुविधा क्षैत्र के रख-रखाव की व्यवस्था आपको सुनिश्चित् करनी होगी।
10. पार्किंग क्षैत्र में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा, इसे पार्किंग हेतु खुला रखा जावेगा। अन्यथा कोटा विकास प्राधिकरण आपके खर्चे पर बिना पूर्व सूचना पार्किंग क्षैत्र में किये गए निर्माण को ध्वस्त करने के लिये स्वतंत्र होगा।
11. भवन निर्माण के स्ट्रक्चरल डिजाईन की जिम्मेदारी आपके द्वारा नियुक्त वास्तुविद् की होगी। निम्न हस्ताक्षरकर्ता/ कोटा विकास प्राधिकरण किसी भी स्थिति में इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा। निर्माण कार्य अधिकृत वास्तुविद्/अभियन्ता की देख-रेख में करवाया जाना होगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सम्बन्धित वास्तुविद् द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. यह स्वीकृति भवन निर्माण के लिये दी जा रही है। किसी भी न्यायालय अथवा वाद में इसे भूखण्ड स्वामित्व साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।
13. मानचित्र में दर्शाये अनुसार भूमिगत जलस्तर बढ़ाने हेतु रेनवाटर हारवेस्टिंग व्यवस्था का निर्माण आवश्यक रूप से किया जाना होगा।
14. अनुज्ञा प्राप्ति के दो वर्ष के भीतर अथवा कार्य प्रारंभ करने के छः माह के अन्दर जो भी कम हो, अनुज्ञाधारी को भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने के आशय की सूचना कोटा विकास प्राधिकरण को देनी होगी।

Signature valid

Digitally signed by Kushal Kumar Kothari
Designation : Secretary
Date: 2024.09.26 18:28:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10786662

15. प्लिन्थ लेवल पर निर्माण के पश्चात् कोटा विकास प्राधिकरण को सूचित करना होगा। कोटा विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा नियुक्त उप/सहायक नगर नियोजक द्वारा मौके पर निर्माण की जांच उपरान्त प्लिन्थ का निर्माण स्वीकृत मानचित्र एवं राजस्थान भवन विनियम 2020 एवं विधिक अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार होने के सम्बन्ध में जांच की जा सकेगी।
16. पर्यावरण की दृष्टि से मानचित्र में दर्शाये अनुसार पेड़ लगाने होंगे। भूखण्ड पर प्रत्येक 80 वर्गमीटर क्षैत्र के लिये कम से कम दो वृक्ष के अनुपात में 6 मीटर से अधिक उंचाई ग्रहण करने वाले वृक्ष लगाने होंगे एवं मानचित्र में दर्शाये अनुसार हरियाली क्षेत्र का आवश्यक रूप से विकास किया जाना होगा।
17. लेबर सेस की राशि सीधे ही संयुक्त श्रम आयुक्त, कोटा कार्यालय में सीधे ही आवेदक/विकासकर्ता द्वारा जमा करवाया जाना होगा।
18. भवन की संरचना, डिजाईन नियमानुसार/विहित अनुसार भूकम्परोधी होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में स्ट्रक्चरल इन्जिनियर से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
19. प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्रों/मार्गदर्शन की व्याख्या अथवा अन्य किसी प्रकार से कोई राशि देय होती है, तो विकासकर्ता/आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि जमा करायी जानी होगी।
20. राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानों एवं समय-समय पर राज्य सरकार/ कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा जारी नियमों/आदेशों की पालना करनी होगी।
21. आवेदक मोके पर विहित अनुसार सूचना प्रदर्शित करेगा एवं अभिलेख रखेगा तथा इस स्वीकृति पत्र की प्रति भी रखेगा।
22. उपरोक्त शर्तों की पालना करने तथा भवन में आवश्यक प्रावधान किये जाने पर एवं अधिवास प्रमाण-पत्र जारी होने पर ही अग्निशमन धरोहर राशि, अन्य अमानत राशि की बैंक गारंटी लौटाई जावेगी।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक (अभियांत्रिकी), कोटा विकास प्राधिकरण।
2. निदेशक (आयोजना), कोटा विकास प्राधिकरण।
3. उप सचिव / उपायुक्त I/II/III, कोटा विकास प्राधिकरण।
4. संयुक्त श्रम आयुक्त, कलेक्ट्रेट परिसर, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि सेस की राशि अपने विभाग स्तर पर वसूल किया जाना सुनिश्चित करें।
5. अधिशाषी अभियन्ता I/II/III/IV को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता को भी समय-समय पर जांच हेतु निर्देशित करे।
6. अधिशाषी अभियंता (आवास), कोटा विकास प्राधिकरण।
7. उप नगर नियोजक, कोटा विकास प्राधिकरण।
8. लेखाधिकारी, कोटा विकास प्राधिकरण।
9. सहायक नगर नियोजक, कोटा विकास प्राधिकरण।
10. तहसीलदार प्रथम / द्वितीय / तृतीय, कोटा विकास प्राधिकरण।
11. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कोटा विकास प्राधिकरण।
12. ड्राईंग शाखा को रिकार्ड हेतु।

सचिव
कोटा विकास प्राधिकरण

Signature valid
Digitally signed by Kushal Kumar Kothari
Designation : Secretary
Date: 2024.09.26 18:28:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10786662

SHEET NO.-01

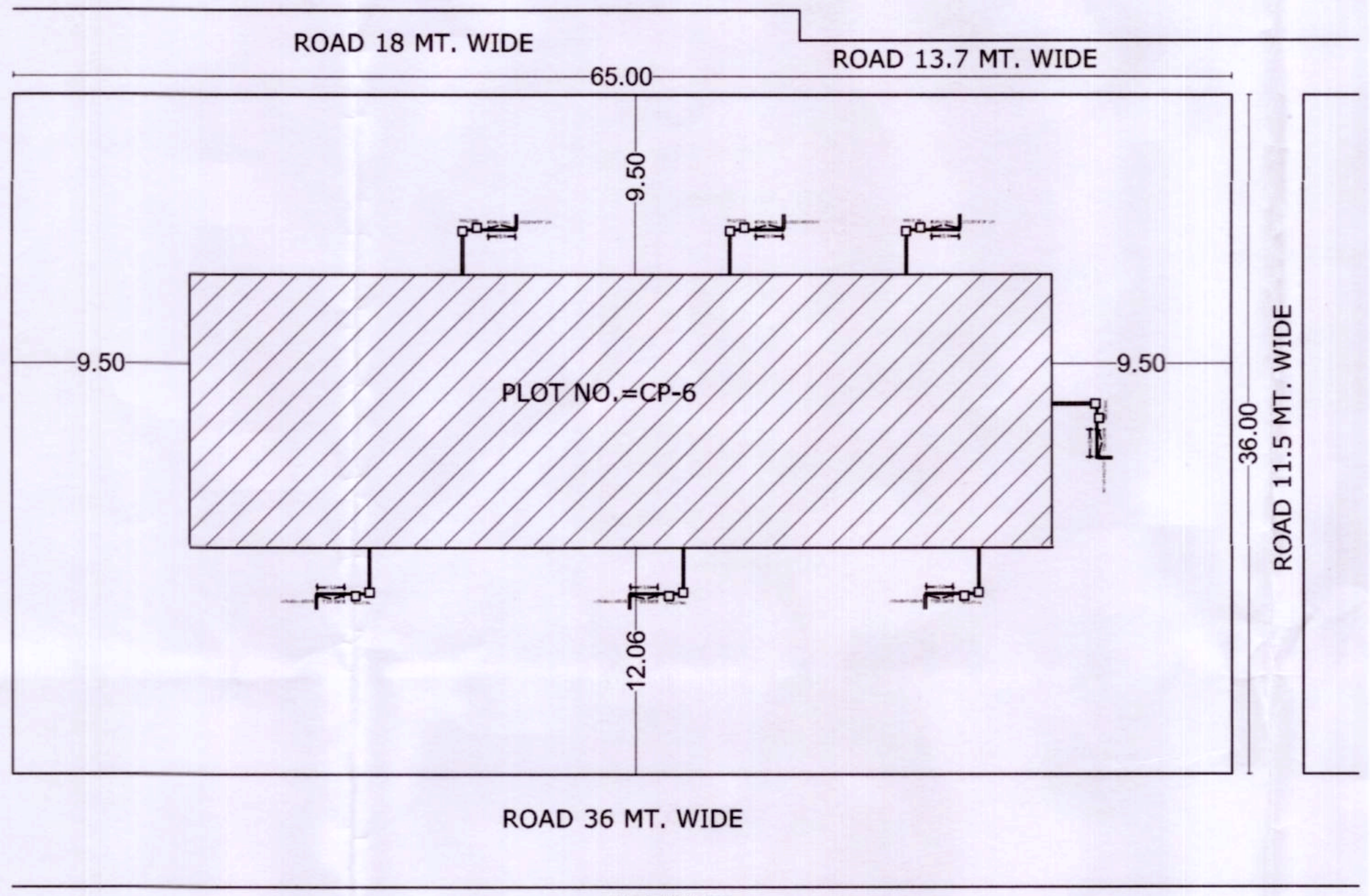

SITE PLAN

THIS DRG ENCLOSED WITH UIT LETTER NO. F-7/DTP/1969-81 DATED 27/09/24

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 28/08/24 में निर्णय के क्रम में मानचित्र अनुमोदित

मानचित्र में दर्शाये अनुसार रैनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का आवश्यक रूप से निर्माण किया जाना होगा।

स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किया गया निर्माण कार्य अवैध माना जावेगा।

मानचित्र अनुमोदित

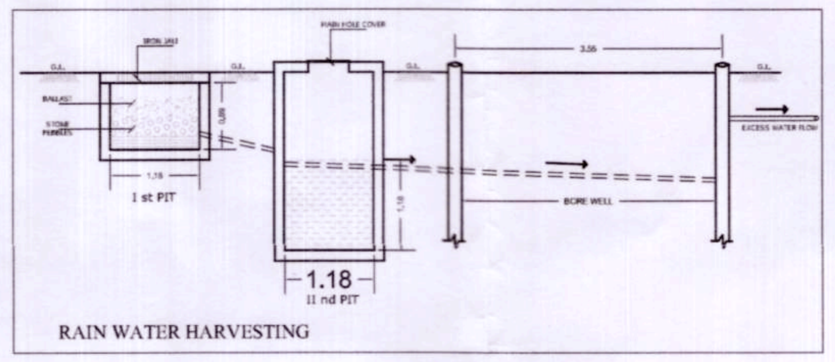

RAIN WATER HARVESTING

वर्तमान में B_1+B_2+S+G+10 वें तल तक (40 मीटर ऊंचाई तक) की मानचित्र स्वीकृति कार्यालय पत्र क्रमांक एफ-7/डीटीपी/2024/1969-81 दिनांक 27/09/24 में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जा रही है।

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

-Sd-
उप नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

S.NO.	FLOORS	GROSS BUILT UP AREA (IN SQ.MT.)	COMMERCIAL AREA (IN SQ.MT.)	SERVICES CUT-OUT (IN SQ.MT.)	LIFT (IN SQ.MT.)	FIRE STAIRCASE (IN SQ.MT.)	BAR (IN SQ.MT.)
1	LOWER BASEMENT FLOOR	1515.70			10.40	9.30	parking
2	UPPER BASEMENT FLOOR	1515.70			10.40	19.60	228.10
3	STILT FLOOR	675.30	57.00		10.40	19.10	196.50
4	GROUND FLOOR	890.30		10.30	10.40	20.50	849.10
5	FIRST FLOOR	890.30		10.30	10.40	20.50	849.10
6	SECOND FLOOR	890.30		10.30	10.40	20.50	849.10
7	THIRD FLOOR	890.30		10.30	10.40	20.50	849.10
8	FOURTH FLOOR	890.30		10.30	10.40	20.50	849.10
9	FIFTH FLOOR	890.30		10.30	10.40	20.50	849.10
10	SIXTH FLOOR	890.30		10.30	10.40	20.50	849.10
11	SEVENTH FLOOR	890.30		10.30	10.40	20.50	849.10
12	EIGHTH FLOOR	890.30		10.30	10.40	20.50	849.10
13	NINTH FLOOR	890.30		10.30	10.40	20.50	849.10
14	TENTH FLOOR	890.30		10.30	10.40	20.50	849.10
15	ELEVENTH FLOOR	890.30		10.30	10.40	20.50	849.10
16	TWELFTH FLOOR	890.30		10.30	10.40	20.50	849.10
17	TERRACE FLOOR	46.60					
	TOTAL	15327.20	57.00	133.90	166.40	314.50	11462.90

PLOT AREA -	2340.00 Sqmt
PERMISSIBLE FREE BAR	2340.00X2=4680.00 Sqmt
ACHIEVE BAR	11462.90 Sqmt
EXTRA BAR	6782.90 Sqmt
PERMISSIBLE GROUND COVERAGE	WITH IN SETBACK LINE
ACHIEVED GROUND COVERAGE	675.30 Sqmt
PERMISSIBLE COMMON FACILITIES COMMUNITY ROOM, SOCIETY OFFICE	50.00 Sqmt
ACHIEVED COMMON FACILITIES COMMUNITY ROOM, SOCIETY OFFICE	50.00 Sqmt
PERMISSIBLE COMMON FACILITIES INDOR GAMES, GYM, CLUBHOUSE	(5%) 766.36 Sqmt
ACHIEVED COMMON FACILITIES INDOR GAMES, GYM, CLUBHOUSE	263.50 Sqmt
PERMISSIBLE GREEN	(10%) 234.00 Sqmt
ACHIEVED GREEN	258.00 Sqmt
COMMERCIAL AREA	57.00 Sqmt
PERMISSIBLE HEIGHT	38.00 MTR.
ACHIEVE HEIGHT	38.00 MTR.

RESIDENCIAL PARKING CALCULATION	
PARKING REQURIED	11405.90/115=99.18 ECU
VISITORS PARKING	99.18X0.10=9.92 ECU
TOTAL REQUIRED PARKING	99.18+9.92= 109.10 ECU
4 WHEELER PARKING REQUIRED	109.10X0.75= 81.82 ECU
2 WHEELER PARKING REQUIRED	109.10X0.25= 27.27 ECU

COMMERCIAL PARKING CALCULATION	
PARKING REQURIED	57.00/75=0.76 ECU
VISITORS PARKING	0.76X0.25=0.19 ECU
TOTAL REQUIRED PARKING	0.76+0.19= 0.95 ECU
4 WHEELER PARKING REQUIRED	0.95X0.75= 0.71 ECU
2 WHEELER PARKING REQUIRED	0.95X0.25= 0.23 ECU

COMMERCIAL+RESIDENCIAL PARKING CALCULATION	
TOTAL 4 WHEELER PARKING	81.82+0.71=82.53 ECU (83 NOS.)
TOTAL 2 WHEELER PARKING	27.27+0.23=27.50 ECU (83 NOS.)
MECHANICAL PARKING	4 NOS.
EV CAR PARKING 10% PROVIDED	11 NOS.

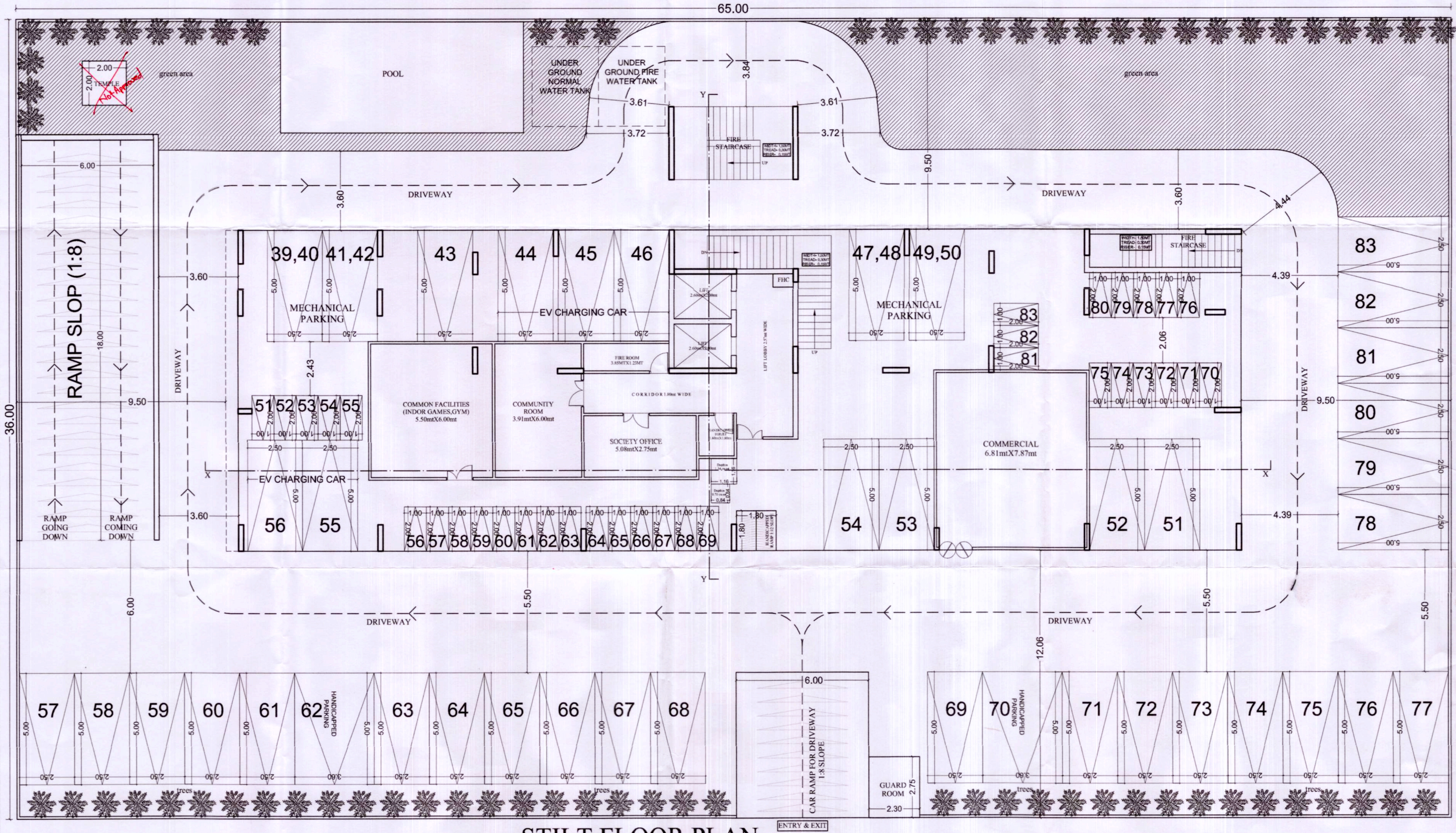

STILT FLOOR PLAN

DRAWING TITLE
SITE PLAN, STILT FLOOR & CALCULATION

ADDRESS :-
PROPOSED APARTMENT "GOLD TAMARA-2", CP-6 CORNER, SWAMI VIVEKANAND NAGAR SCHEME, KOTA

ARCHITECT:-
KAPPRIS INNOVATION
35,NEMI NAGAR EXT., SHRI PATH, VAISHALI NAGAR,JAIPUR
PHONE- 0141-4002369

SCALE -1:100 | NORTH

For KGV Infra Pvt. Limited
Director

AMIT AGARWAL
Architect (B.Arch., M.C.A.)
CA/2010/47520

OWNER | ARCHITECT

SHEET NO.-02

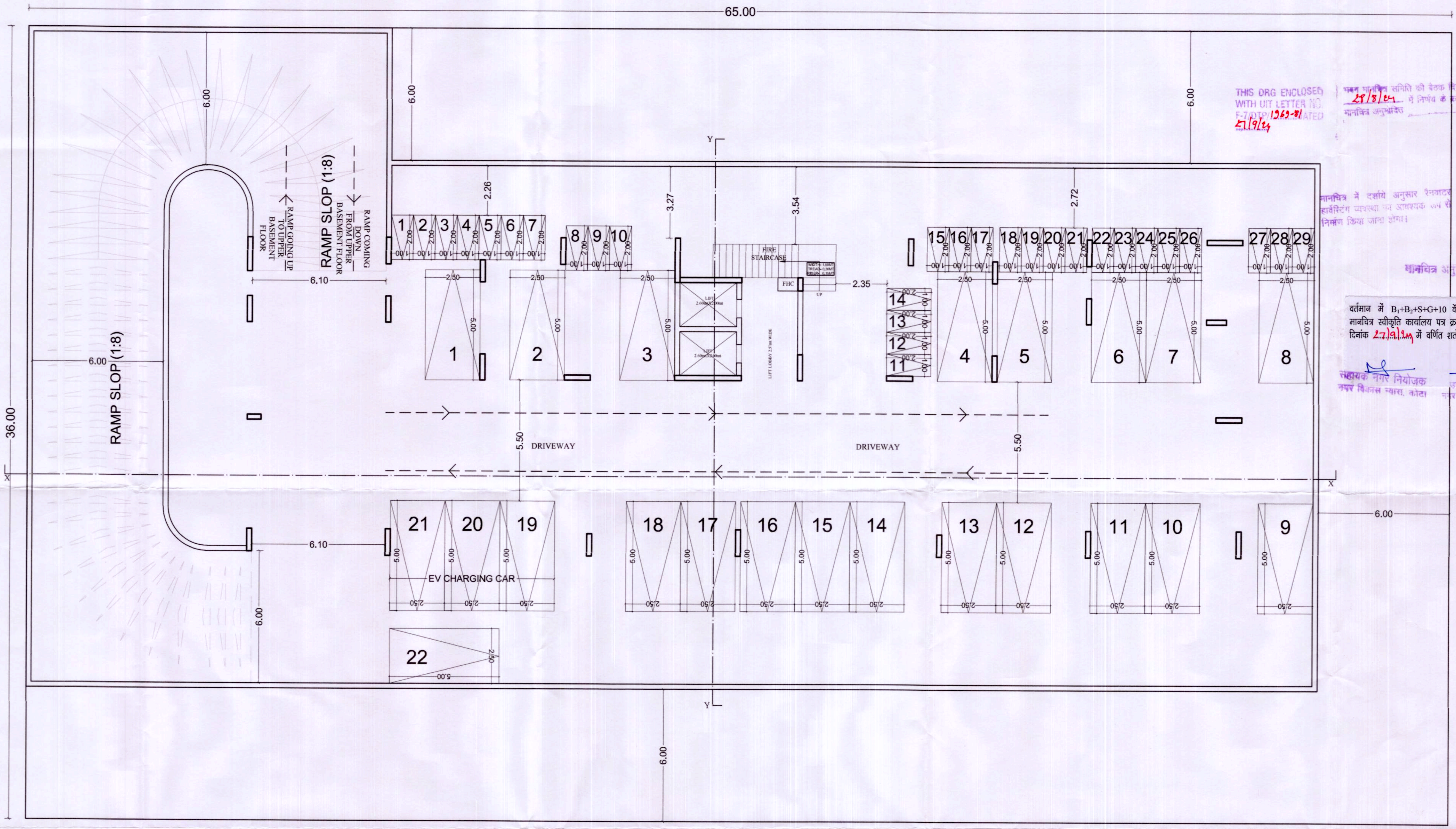

THIS DRG ENCLOSED WITH UIT LETTER NO. F-7/DTP/1969-81 DATED 27/9/24

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 28/8/24 में निर्णय के क्रम में मानचित्र अनुमोदित

मानचित्र में दर्शाये अनुसार रैनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का आवश्यक रूप से निर्माण किया जाना होगा।

स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध किया गया निर्माण कार्य अवैध माना जावेगा।

मानचित्र अनुमोदित

वर्तमान में B_1+B_2+S+G+10 वें तल तक (40 मीटर ऊंचाई तक) की मानचित्र स्वीकृति कार्यालय पत्र क्रमांक एफ-7/डीटीपी/2024/1969-81 दिनांक 27/9/24 में वर्णित शर्तो के अधीन जारी की जा रही है।

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

-Sd-
उप नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

BASEMENT 1 (LOWER) FLOOR PLAN

DRAWING TITLE BASEMENT-1(LOWER) FLOOR PLAN	
ADDRESS :- PROPOSED APARTMENT "GOLD TAMARA-2", CP-6 CORNER, SWAMI VIVEKANAND NAGAR SCHEME, KOTA	
ARCHITECT:- KAPPRIS INNOVATION 35,NEMI NAGAR EXT., SHRI PATH, VAISHALI NAGAR,JAIPUR PHONE- 0141-4002369	
SCALE -1:100	NORTH
For KGV Infra Pvt. Limited Director	AMIT AGARWAL Architect (B.Arch., M.C.A.) CA/2010/47520
OWNER	ARCHITECT

SHEET NO.-03

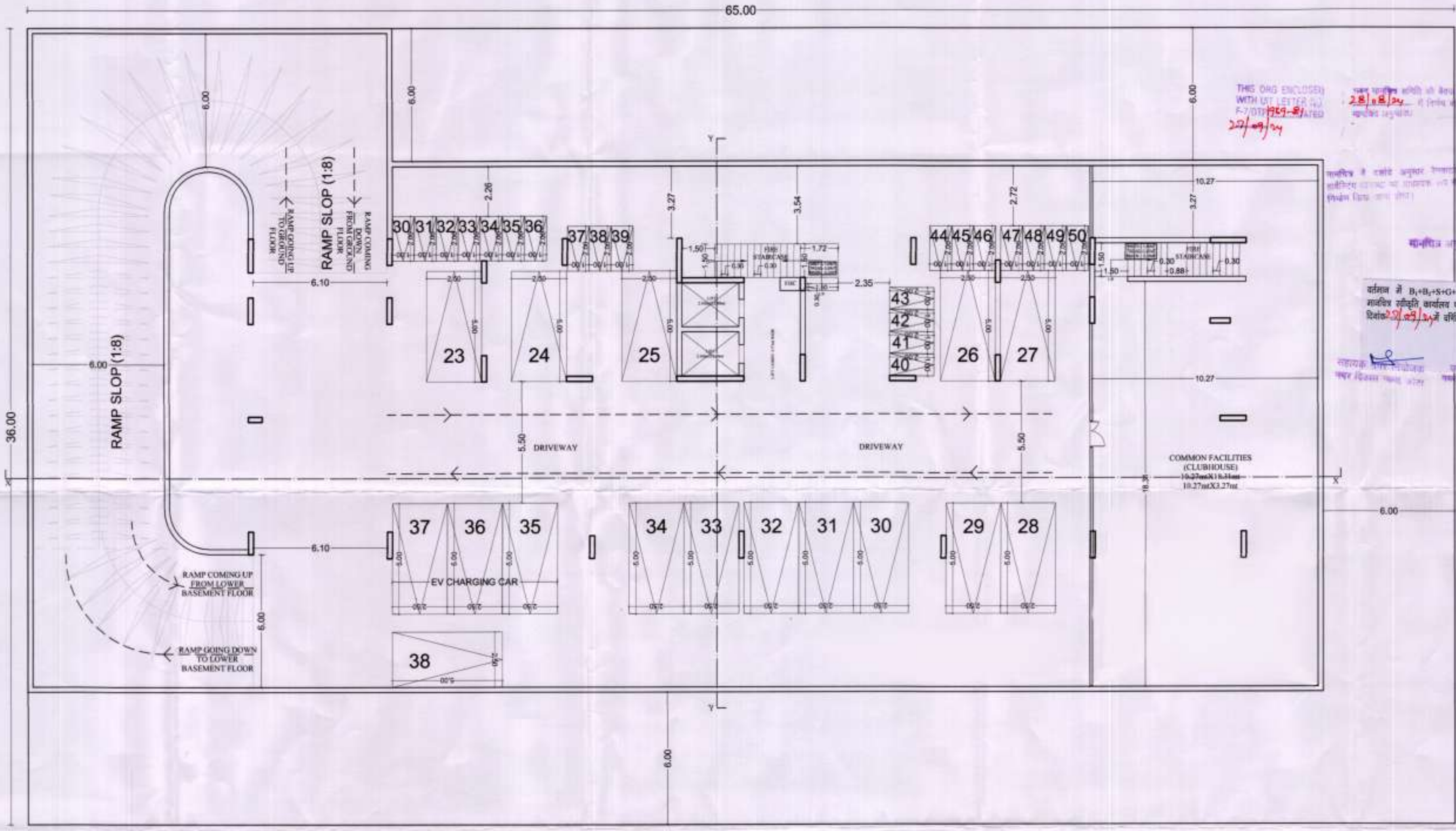

THIS DRG ENCLOSED WITH LIT LETTER NO. F-7/DTP/1969-81 DATED 27/09/24

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 28/08/24 में निर्णय के क्रम में मानचित्र अनुमोदित

मानचित्र अनुमोदित।

वर्तमान में $B_1+B_2+S+G+10$ वे तल तक (40 मीटर ऊंचाई तक) की मानचित्र स्वीकृति कार्यालय पत्र क्रमांक एफ-7/डीटीपी/2024/1969-81 दिनांक 27/09/24 में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जा रही है।

सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा — -Sd- उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा — वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा

BASEMENT 2 (UPPER) FLOOR PLAN

DRAWING TITLE BASEMENT - 2 (UPPER) FLOOR PLAN	
ADDRESS :- PROPOSED APARTMENT "GOLD TAMARA-2", CP-6 CORNER, SWAMI VIVEKANAND NAGAR SCHEME, KOTA	
ARCHITECT:- KAPPRIS INNOVATION PHONE- 0141-4002368	
SCALE -1:100	NORTH
For KGV Infra Pvt. Limited Director	AMIT AGARWAL Architect (B.Arch., M.C.A.) CA/2010/47520
OWNER	ARCHITECT

SHEET NO.-04

THIS DRG ENCLOSED
WITH UIT LETTER NO.
F-7/DTP/1969-81 DATED
27/09/24

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक
28/08/24 में निर्णय के क्रम में
मानचित्र अनुमोदित

मानचित्र में दर्शाये अनुसार रैनवाटर
हार्वेस्टिंग व्यवस्था का आवश्यक रूप से
निर्माण किया जाना होगा।

स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किया गया
निर्माण कार्य अवैध माना जावेगा।

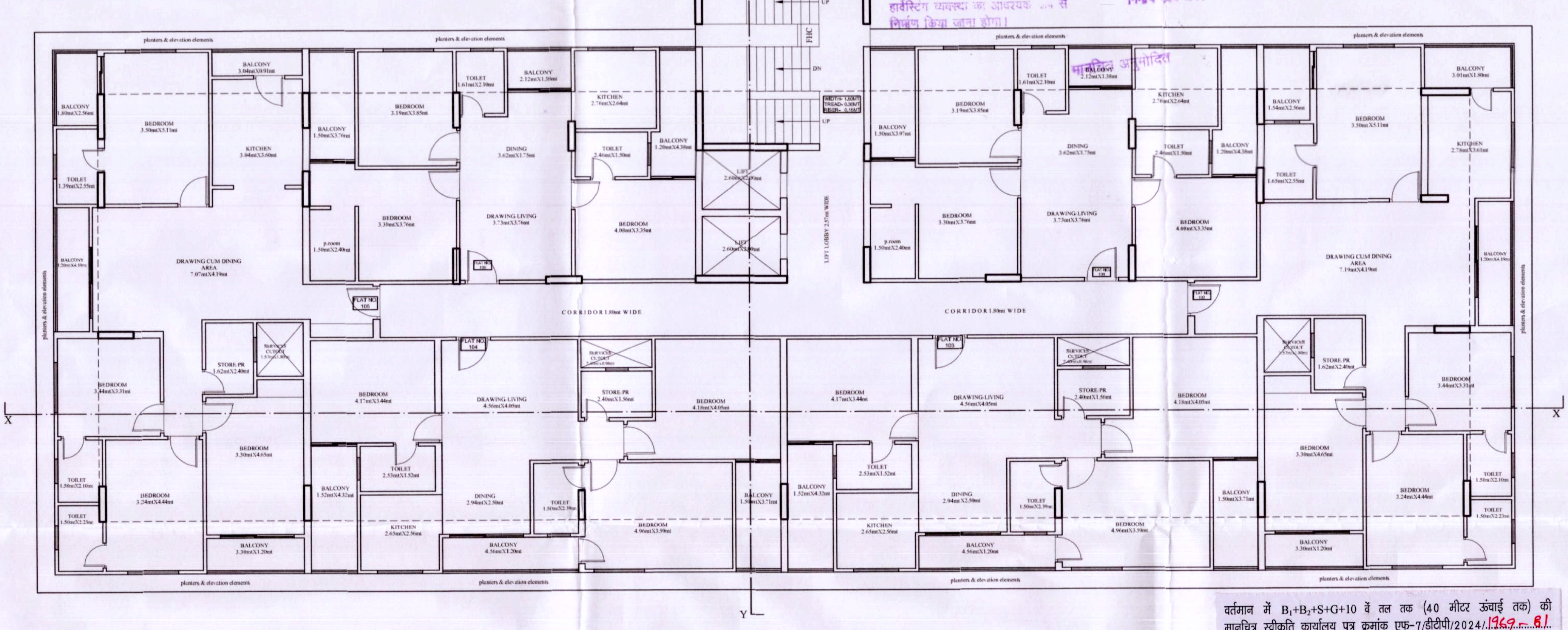

TYPICAL FLOOR PLAN

(GROUND, FIRST, FOURTH, SEVENTH, TENTH, FLOOR)

वर्तमान में B_1+B_2+S+G+10 वें तल तक (40 मीटर ऊंचाई तक) की मानचित्र स्वीकृति कार्यालय पत्र क्रमांक एफ-7/डीटीपी/2024/1969-81 दिनांक 27/09/24 में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जा रही है।

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

-Sd-
उप नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

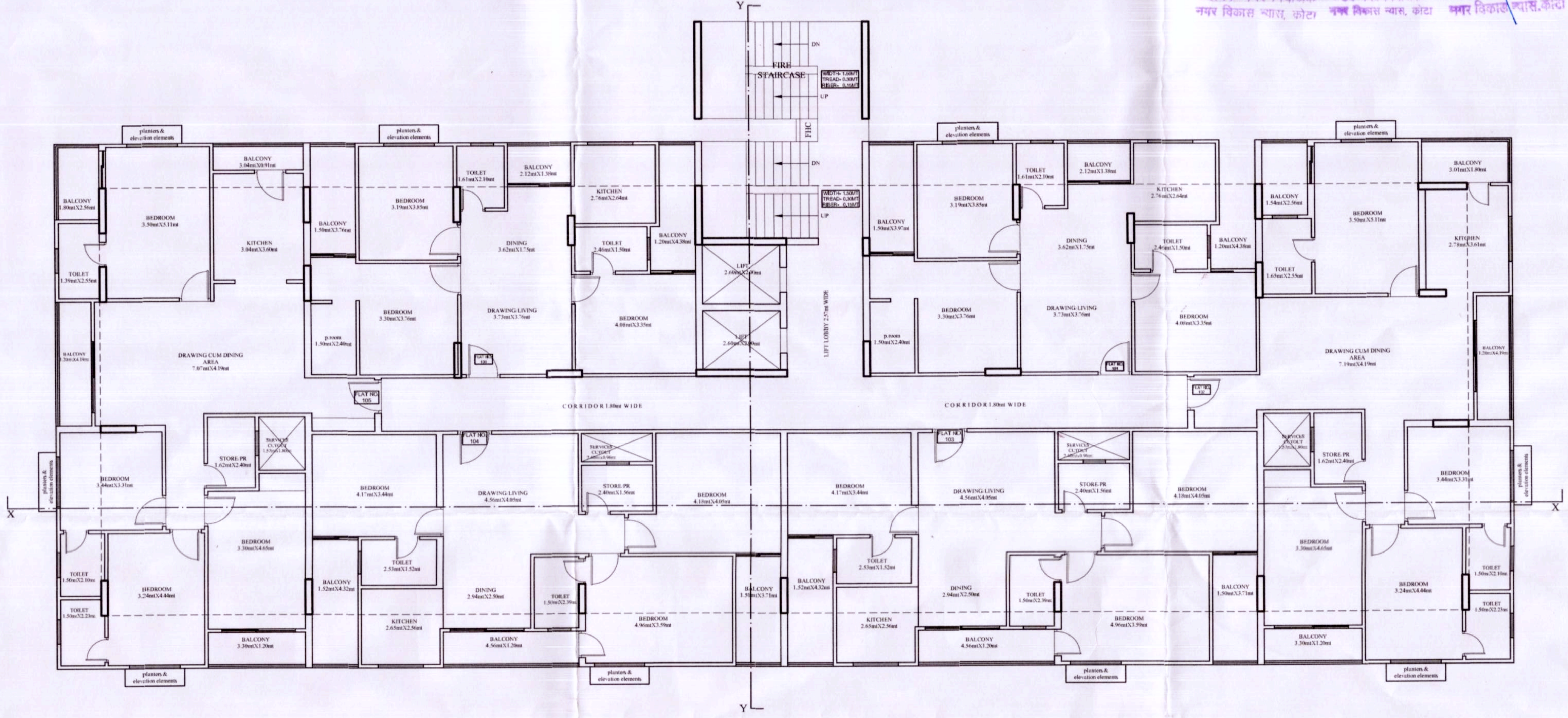

TYPICAL FLOOR PLAN

(SECOND, THIRD, FIFTH, SIXTH, EIGHT, NINTH, ~~ELEVENTH, TWELFTH~~ FLOOR)

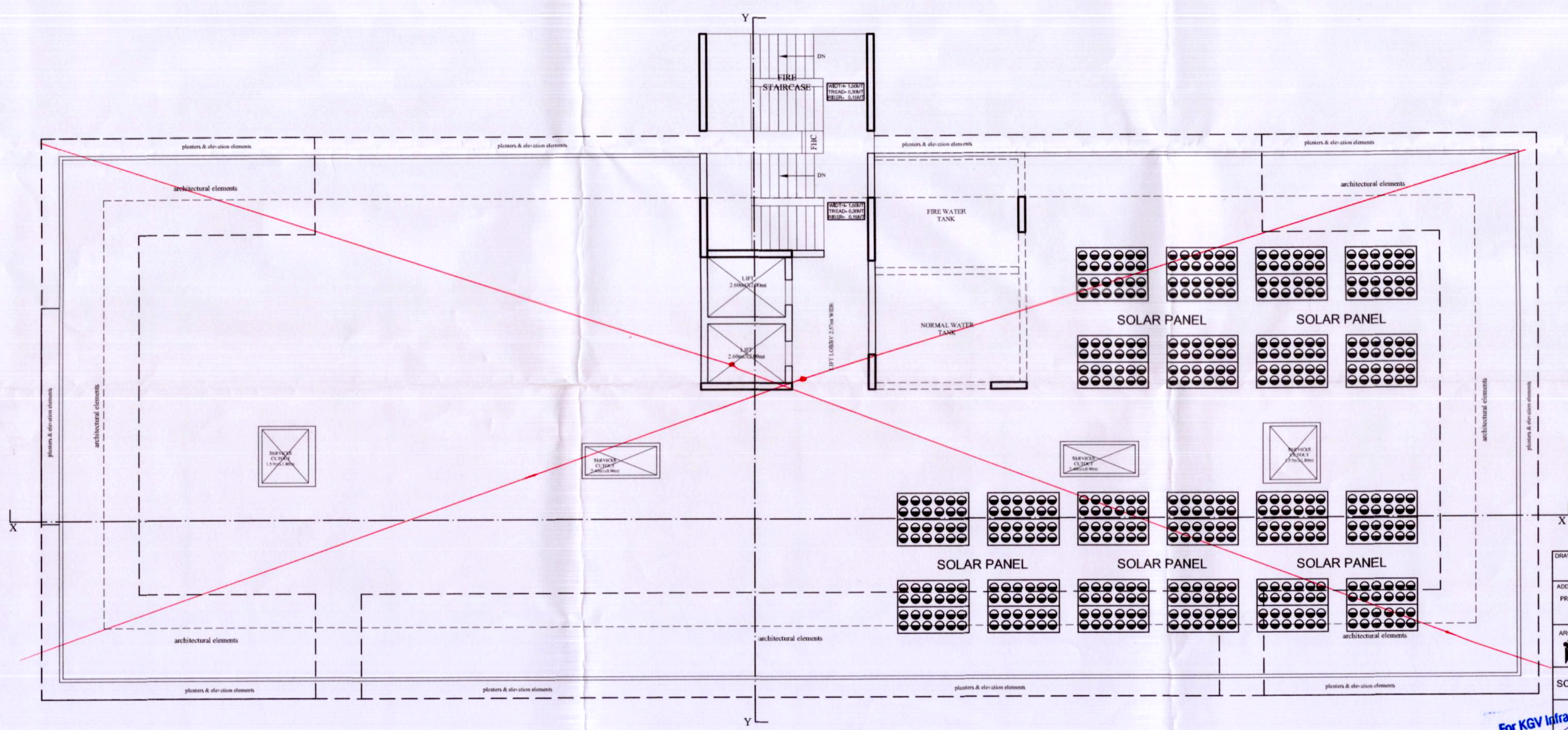

~~TERRACE~~ FLOOR PLAN

DRAWING TITLE TYPICAL FLOOR PLANS & TERRACE FLOOR PLAN	
ADDRESS :- PROPOSED APARTMENT "GOLD TAMARA-2", CP-6 CORNER, SWAMI VIVEKANAND NAGAR SCHEME, KOTA	
ARCHITECT:- KAPPRIS INNOVATION 35,NEMI NAGAR EXT., SHRI PATH, VAISHALI NAGAR, JAIPUR PHONE- 0141-4002369	
SCALE -1:100	NORTH
For KGV Infra Pvt. Limited Director	AMIT AGARWAL Architect (B.Arch., M.C.A.) CA/2010/47520
OWNER	ARCHITECT

SHEET NO.-05

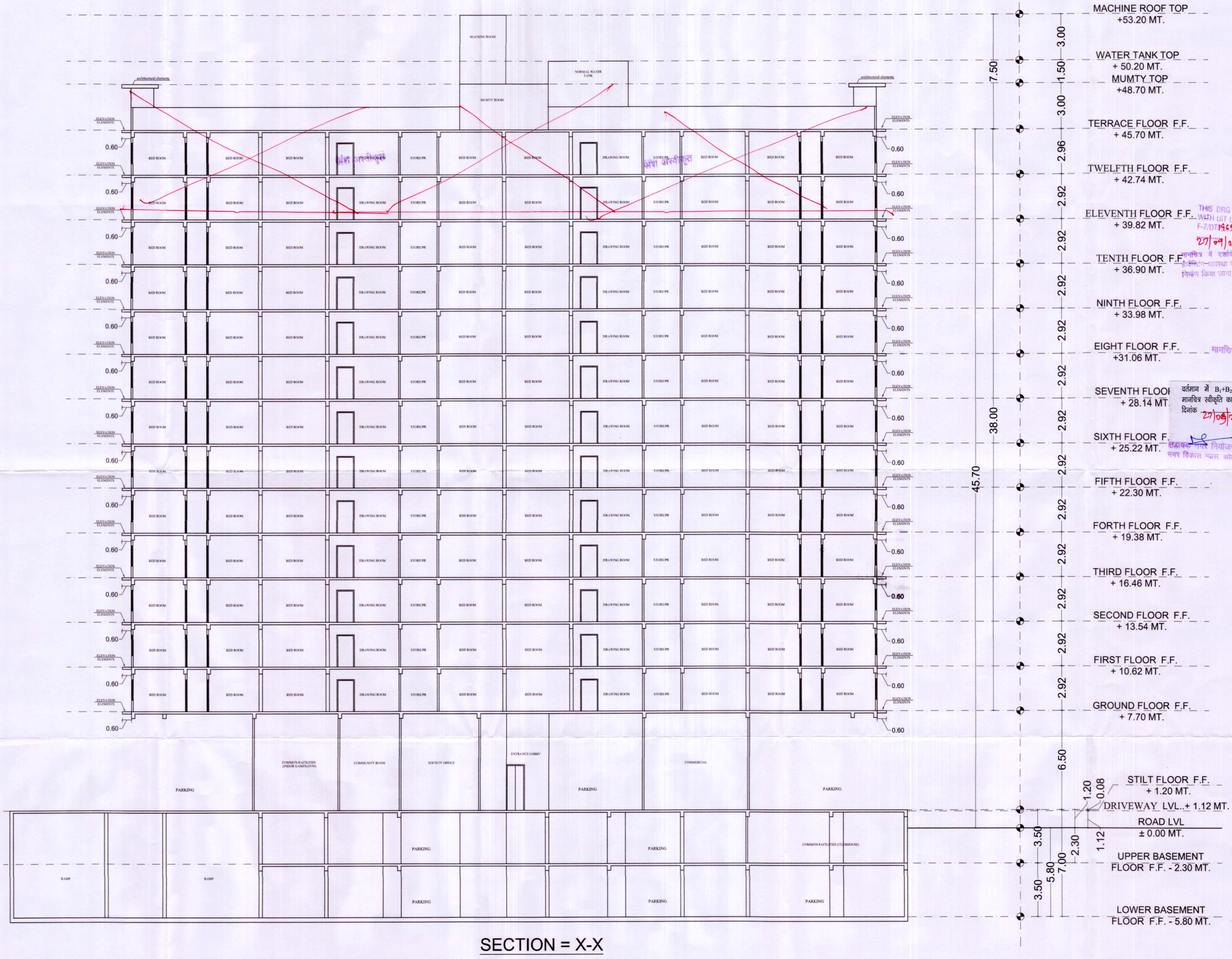

SECTION = X-X

THIS DRG ENCLOSED भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक
WITH UIT LETTER NO. 28/08/24 में निर्णय के क्रम में
F-7/DTP/1969-81 DATED मानचित्र अनुमोदित
27/09/24

मानचित्र में दर्शाये अनुसार रैनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का आवश्यक रूप से निर्माण किया जाना होगा।

स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किया गया निर्माण कार्य अवैध माना जावेगा।

मानचित्र अनुमोदित

वर्तमान में $B_1+B_2+S+G+10$ वें तल तक (40 मीटर ऊंचाई तक) की मानचित्र स्वीकृति कार्यालय पत्र क्रमांक एफ-7/डीटीपी/2024/1969-81/ दिनांक 27/09/24 में वर्णित शर्तो के अधीन जारी की जा रही है।

सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा
-sd- उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा
वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा

DRAWING TITLE	
SECTION = X-X	
ADDRESS :- PROPOSED APARTMENT "GOLD TAMARA-2", CP-6 CORNER, SWAMI VIVEKANAND NAGAR SCHEME, KOTA	
ARCHITECT:- KAPPRIS INNOVATION, 35,NEMI NAGAR EXT., SHRI PATH, VAISHALI NAGAR, JAIPUR, PHONE- 0141-4002369	
SCALE -1:100	NORTH
For KGV Infra Pvt. Limited, Director	AMIT AGARWAL, Architect (B.Arch., M.C.A.), CA/2010
OWNER	ARCHITECT

SHEET NO.-06

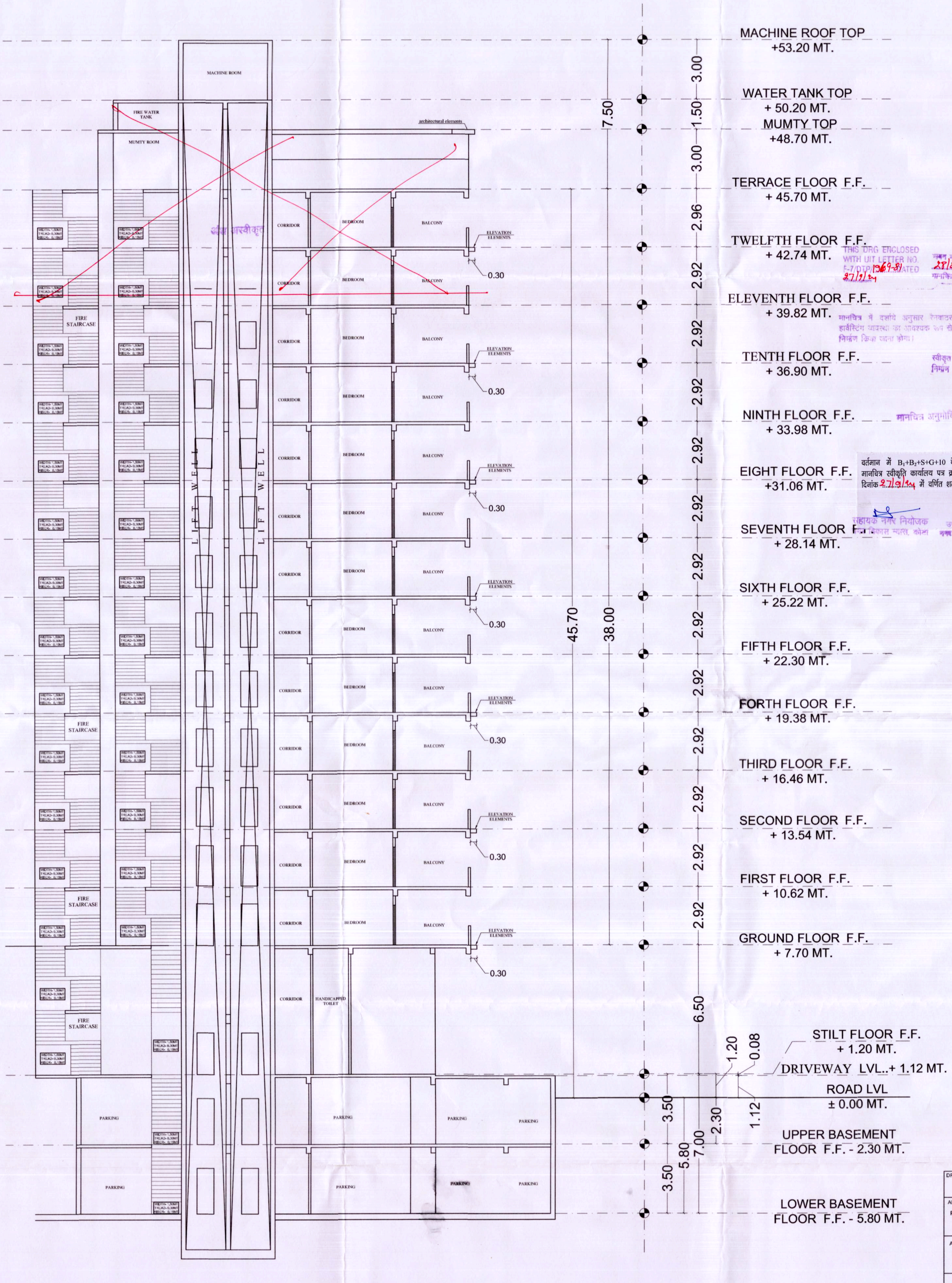

THIS DRG ENCLOSED WITH UIT LETTER NO. F-7/DTP/1969-81 DATED 27/9/24

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 28/8/24 में निर्णय के क्रम में मानचित्र अनुमोदित

मानचित्र में दर्शाये अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का आवश्यक रूप से निर्माण किया जाना होगा।

स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किया गया निर्माण कार्य अवैध माना जावेगा।

मानचित्र अनुमोदित

वर्तमान में B_1+B_2+S+G+10 वें तल तक (40 मीटर ऊंचाई तक) की मानचित्र स्वीकृति कार्यालय पत्र क्रमांक एफ-7/डीटीपी/2024/1969-81 दिनांक 27/9/24 में वर्णित शर्तो के अधीन जारी की जा रही है।

सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा — -sd- उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा — वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा

SECTION = Y-Y

DRAWING TITLE SECTION = Y-Y	
ADDRESS :- PROPOSED APARTMENT "GOLD TAMARA-2", CP-6 CORNER, SWAMI VIVEKANAND NAGAR SCHEME, KOTA	
ARCHITECT:- KAPPRIS INNOVATION 35, NEMI NAGAR EXT., SHRI PATH, VAISHALI NAGAR, JAIPUR PHONE- 0141-4002369	
SCALE -1:100	NORTH
For KGV Infra Pvt. Limited Director	AMIT A... Architect (B.A...) CA/2010/...
OWNER	ARCHITECT

SHEET NO.-07

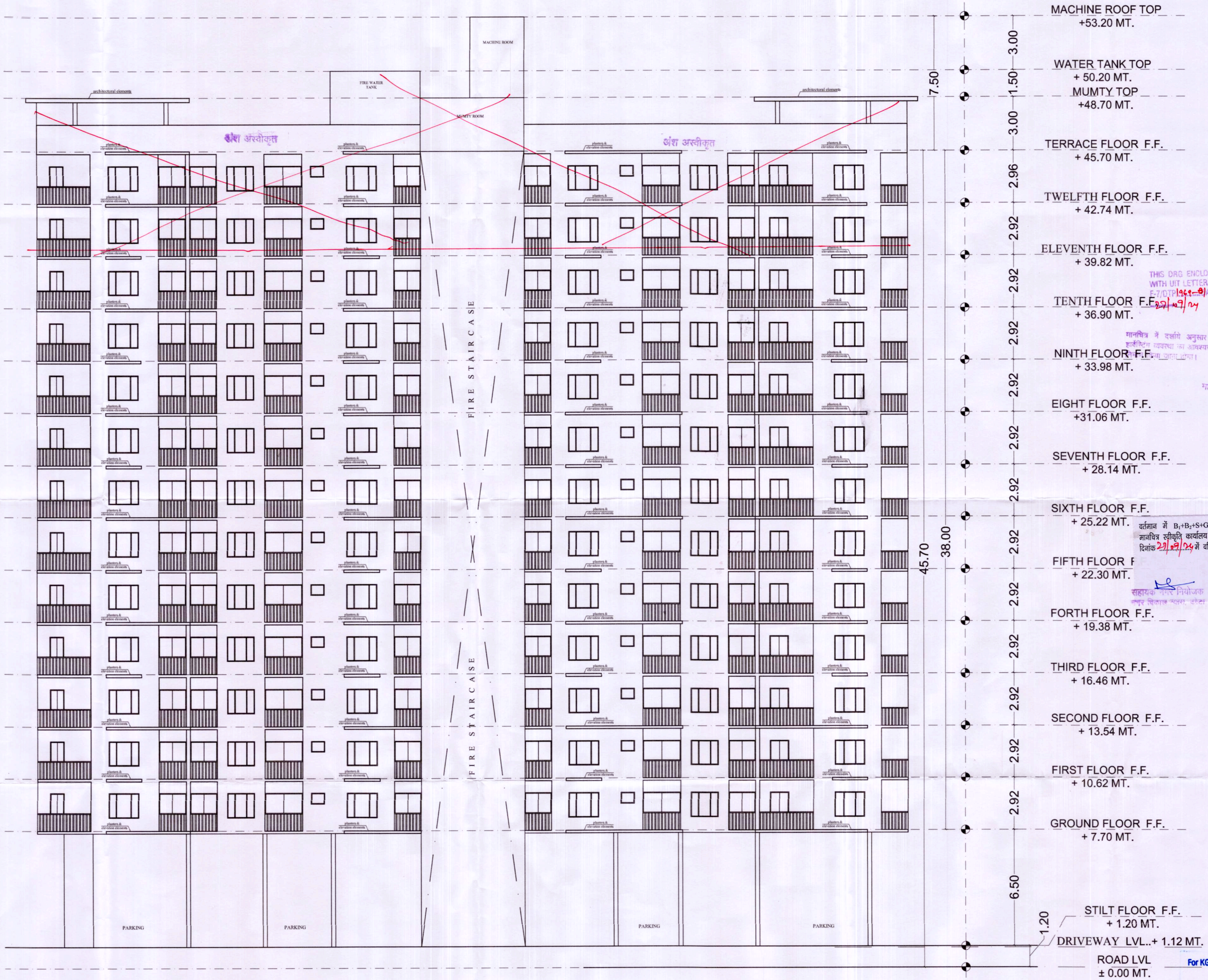

EAST SIDE ELEVATION

THIS DRG ENCLOSED WITH UIT LETTER NO. F-7/DTP/1969-81 DATED 27/09/24

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 28/08/24 में निर्णय के क्रम में मानचित्र अनुमोदित

मानचित्र में दर्शाये अनुसार रैनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का आवश्यक रूप से निर्माण किया जाना होगा।

स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किया गया निर्माण कार्य अवैध माना जावेगा।

मानचित्र अनुमोदित

वर्तमान में B_1+B_2+S+G+10 वें तल तक (40 मीटर ऊंचाई तक) की मानचित्र स्वीकृति कार्यालय पत्र क्रमांक एफ-7/डीटीपी/2024/1969-81 दिनांक 27/09/24 में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जा रही है।

सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा — -sd- उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा — वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा

DRAWING TITLE	
EAST SIDE ELEVATION	
ADDRESS :- PROPOSED APARTMENT "GOLD TAMARA-2", CP-6 CORNER, SWAMI VIVEKANAND NAGAR SCHEME, KOTA	
ARCHITECT:- KAPPRIS INNOVATION, 35,NEMI NAGAR EXT., SHRI PATH, VAISHALI NAGAR, JAIPUR, PHONE- 0141-4002369	
SCALE -1:100	NORTH
For KGV Infra Pvt. Limited, Director	AMIT AGARWAL, Architect (B.Arch., M.C.A.), CA/2010/47520
OWNER	ARCHITECT

SHEET NO.-08

WEST SIDE ELEVATION

THIS DRG ENCLOSED WITH UIT LETTER NO. F-7/DTP/1969-81 DATED 27/09/24

भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 28/08/24 में निर्णय के क्रम में मानचित्र अनुमोदित।

मानचित्र में दर्शाये अनुसार रैनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का आवश्यक रूप से निर्माण किया जाना होगा।

स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किया गया निर्माण कार्य अवैध माना जावेगा।

मानचित्र अनुमोदित

वर्तमान में $B_1+B_2+S+G+10$ वें तल तक (40 मीटर ऊंचाई तक) की मानचित्र स्वीकृति कार्यालय पत्र क्रमांक एफ-7/डीटीपी/2024/1969-81 दिनांक 27/09/24 में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जा रही है।

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

-Sd-
उप नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

DRAWING TITLE WEST SIDE ELEVATION	
ADDRESS :- PROPOSED APARTMENT "GOLD TAMARA-2", CP-6 CORNER, SWAMI VIVEKANAND NAGAR SCHEME, KOTA	
ARCHITECT:- KAPPRIS INNOVATION 35,NEMI NAGAR EXT., SHRI PATH, VAISHALI NAGAR,JAIPUR PHONE- 0141-4002369	
SCALE -1:100	NORTH
For KGV Infra Pvt. Limited Director	AMIT AGARWAL Architect (B.Arch., M.C.A.) CA/2010/47520
OWNER	ARCHITECT

SHEET NO.-09

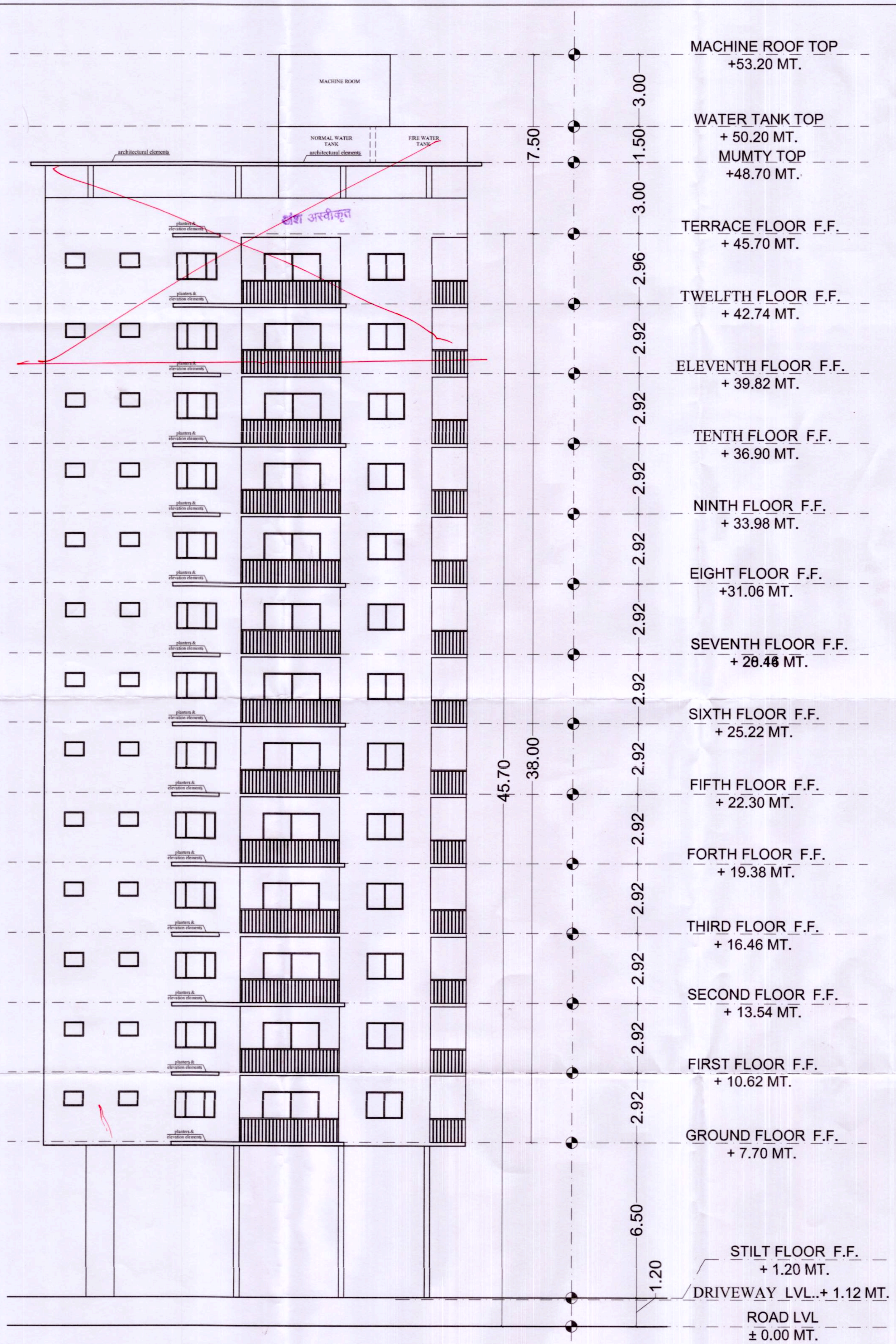

SOUTH SIDE ELEVATION

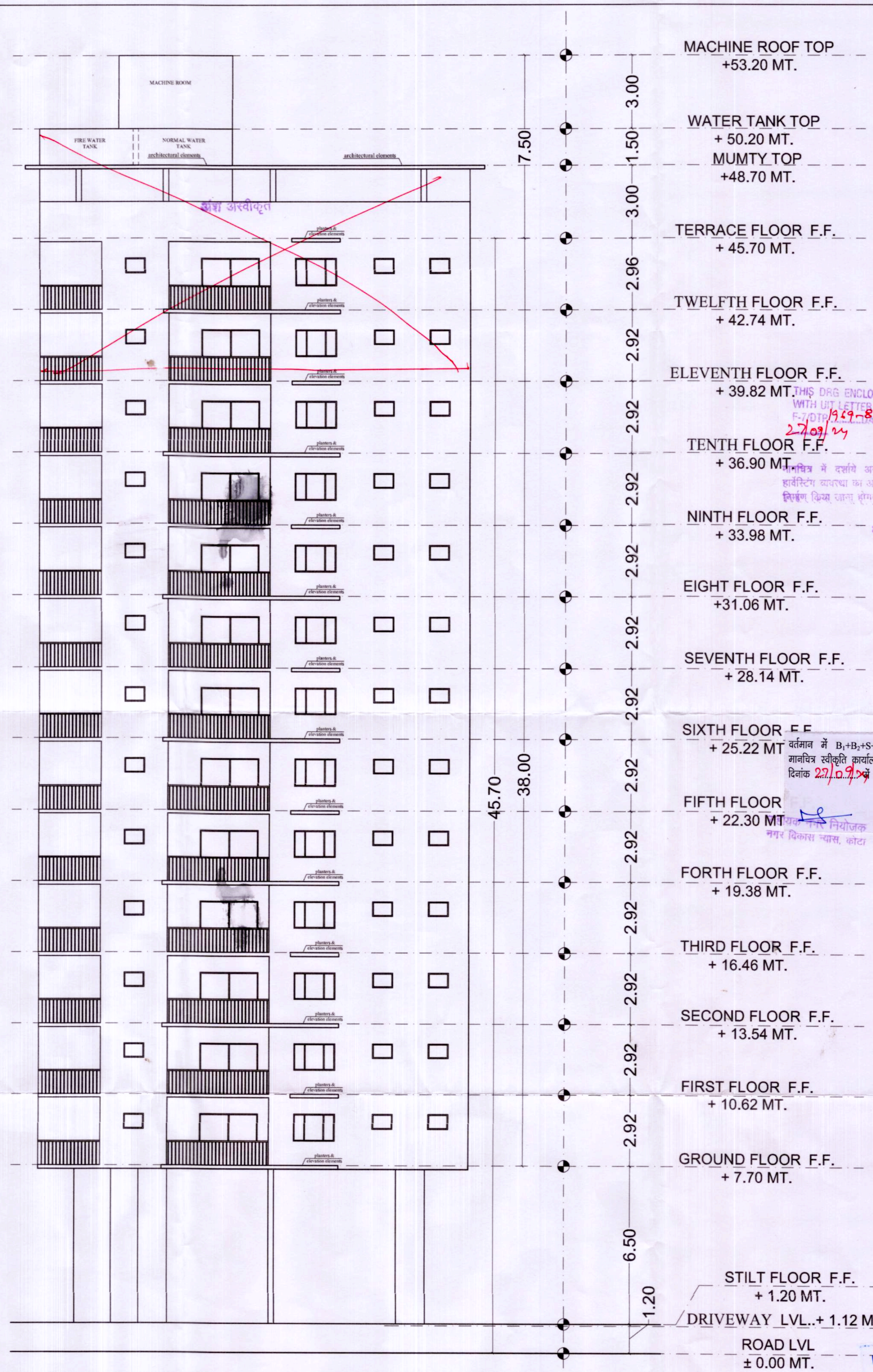

NORTH SIDE ELEVATION

THIS DRG ENCLOSED WITH UIT LETTER NO. F-7/DTP/1969-81 DATED 27/09/24

मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 28/08/24 में निर्णय के क्रम में मानचित्र अनुमोदित

मानचित्र में दर्शाये अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का आवश्यक निर्माण किया जाना होगा।

स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किया गया निर्माण कार्य अवैध माना जावेगा।

मानचित्र अनुमोदित

वर्तमान में B_1+B_2+S+G+10 वें तल तक (40 मीटर ऊंचाई तक) की मानचित्र स्वीकृति कार्यालय पत्र क्रमांक एफ-7/डीटीपी/2024/1969-81 दिनांक 27/09/24 में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जा रही है।

सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा — उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा (-sd-) — वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा

DRAWING TITLE NORTH & SOUTH SIDE ELEVATION	
ADDRESS :- PROPOSED APARTMENT "GOLD TAMARA-2", CP-6 CORNER, SWAMI VIVEKANAND NAGAR SCHEME, KOTA	
ARCHITECT:- KAPPRIS INNOVATION 35,NEMI NAGAR EXT., SHRI PATH, VAISHALI NAGAR,JAIPUR PHONE- 0141-4002369	
SCALE -1:100	NORTH
For KGV Infra Pvt. Limited Director	AMIT AGARWAL Architect (B.Arch., M.C.A.) CA/2010/47520
OWNER	ARCHITECT